सुपौल जिलान्तर्गत डोड़रा मौजा के खाता संख्या–18, खेसरा संख्या–1009, थाना संख्या–100, अंचल–छातापुर, एन.एच.–57 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट खोलन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

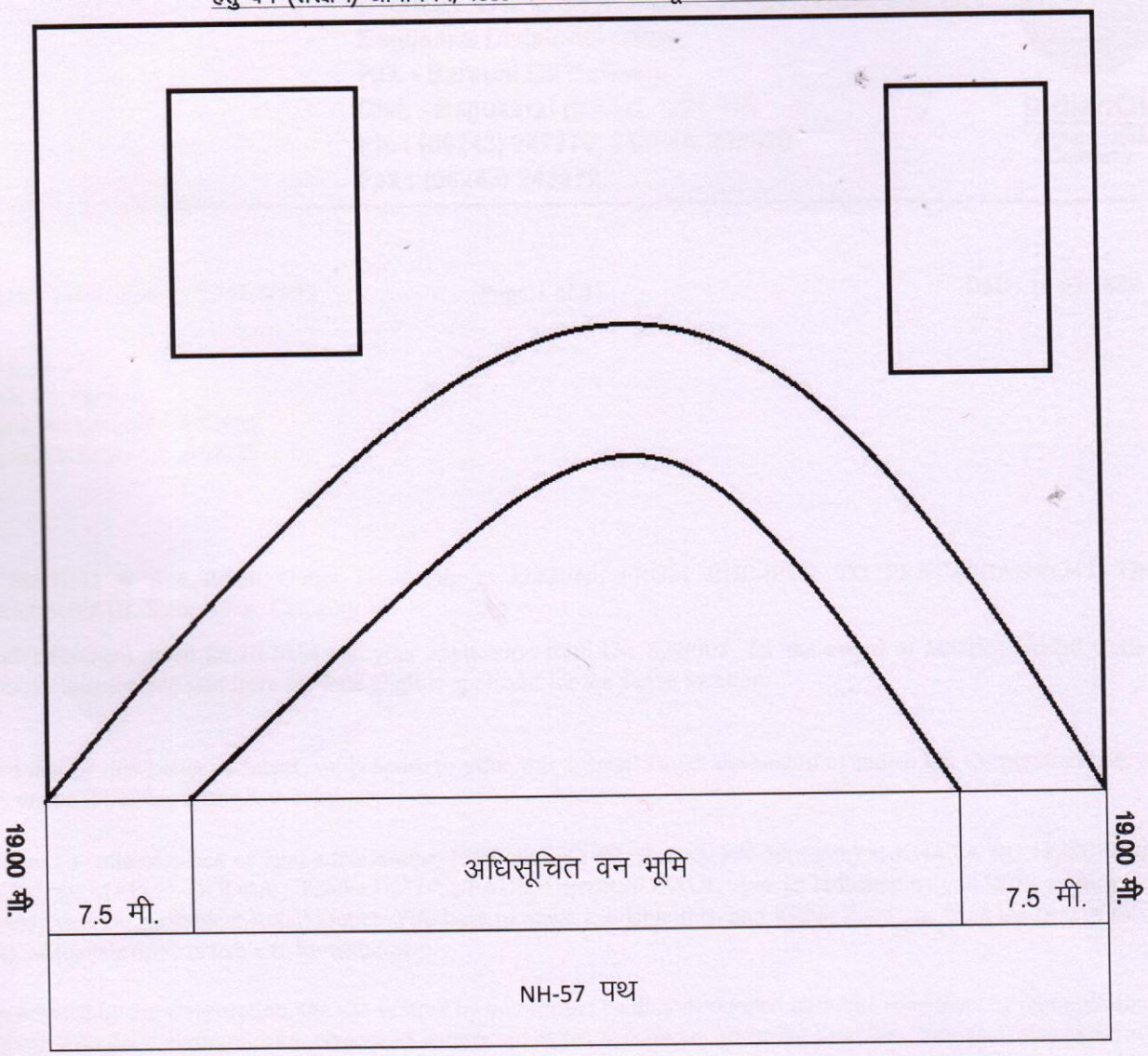

अपयोजन की विवरणी–

(क) प्रवेश पथ– 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.00 मी. = 142.50 वर्ग मी.

(ख) निकास पथ – 7.5 मी. चौड़ाई x लम्बाई 19.00 मी. = 142.50 वर्ग मी.

कुल अपयोजित होने वाली वन भूमि– प्रवेश (क) + निकास (ख) = 285.00 वर्ग मी.

अर्थात कुल 0.0285 हे.

(बालेश्वर पासवान)